प्रेस विज्ञप्ति

06-12-2025

प्रवर्तन निदेशालय ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रस्तुत की गई जाली बैंक गारंटियों के मामले में 1. पार्थ सारथी बिस्वाल, 2. मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, 3. मेसर्स बायोथेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 4. अमर नाथ दत्ता, 5. रविंदर पाल सिंह चड्ढा, 6. मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड, 7. मेसर्स रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, 8. मनोज भैयासाहेब पोंगडे, 9. मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड, 10. अशोक कुमार पाल तथा 11. पुनित नरेंद्र गर्ग के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत दायर किया है।

इस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शिकायत पर मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (जो कि मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड की शत-प्रतिशत अनुषंगी कंपनी है) के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी, और मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड द्वारा मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड एवं उसके प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल के विरुद्ध दर्ज एक अन्य प्राथमिकी के आधार पर जांच की शुरुआत की।

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1000 मेगावाट / 2000 मेगावाट-घंटा स्वतंत्र बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजनाओं की स्थापना हेतु जारी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया में मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड ने (अपनी अनुषंगी कंपनी मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड के माध्यम से) निविदा प्रस्तुत की थी। निविदाकर्ताओं के लिए निविदा दस्तावेजों के साथ 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। निविदा शर्तों के अनुसार, यदि बैंक गारंटी किसी विदेशी बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो उसका समर्थन उसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा अथवा भारतीय स्टेट बैंक से किया जाना आवश्यक था।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह उजागर हुआ कि मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड ने दुर्भावनापूर्ण आशय से फर्स्ट रैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस, जो एक अस्तित्वहीन शाखा है तथा एसीई इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, मलेशिया से संबंधित है, के नाम पर जाली बैंक गारंटी की व्यवस्था हेतु एक फर्जी इकाई, मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली। आगे, भारतीय स्टेट बैंक की नकली (स्पूफ) ई-मेल आईडी का उपयोग करते हुए इन जाली बैंक गारंटियों का समर्थन किया गया और कथित रूप से भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाली समर्थन पत्र जारी किया गयी। इस प्रयोजनार्थ s-bi.co.in नामक एक धोखाधड़ीपूर्ण डोमेन (जो कि sbi.co.in के समान प्रतीत होता है) का उपयोग किया गया। आगे यह भी सामने आया कि, मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड ने अपनी अन्य अनुषंगी कंपनी, मेसर्स रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, से ₹6.33 करोड़ की राशि फर्जी इकाई मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड को कथित परिवहन सेवाओं के नाम पर स्थानांतरित की, ताकि नकली बैंक गारंटी की व्यवस्था हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। जांच में यह भी उजागर हुआ कि रिलायंस समूह के अधिकारियों द्वारा सह-आरोपी पार्थ सारथी बिस्वाल के साथ मिलीभगत कर नकली कार्यादेश एवं जाली चालानों का निष्पादन किया गया। मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जाली बैंक गारंटी की व्यवस्था कराने के उपरांत, मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा उक्त फर्जी इकाई को 5.40 करोड़ रुपये की मोटी राशि का भुगतान भी किया गया, ताकि इस संपूर्ण व्यवस्था को वास्तविक वाणिज्यिक लेन-देन के रूप में प्रदर्शित किया जा सके।

रिलायंस समूह के अधिकारी इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे कि भारतीय स्टेट बैंक की नकली (स्पूफ) ई-मेल आईडी के माध्यम से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जाली बैंक गारंटी एवं उसका फर्जी समर्थन प्रस्तुत

किया गया है, तथा जब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस धोखाधड़ी का पता लगा, तो रिलायंस समूह ने सूचना मिलने के एक दिन के भीतर आईडीबीआई बैंक से एक वास्तविक बैंक गारंटी की व्यवस्था की। हालांकि, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत किए जाने के कारण उक्त नई बैंक गारंटी को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया। चूंकि मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड एल-2 बोलीदाता के रूप में उभरी थी, अतः निविदा को बचाने के उद्देश्य से रिलायंस समूह के अधिकारियों ने कोलकाता स्थित भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा से जाली विदेशी बैंक गारंटी के नए समर्थन की व्यवस्था कराने का भी प्रयास किया। इसके अलावा, इस प्रक्रिया के दौरान, रिलायंस समूह के अधिकारियों ने एक नकली अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और कोलकाता नगर निगम को जाली पते के दस्तावेज़ प्रस्तुत करके मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड का भी प्राप्त किया। "पंजीयन प्रमाणपत्र" हालांकि, जब वे पुनः नया समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे, तो संपूर्ण दोष को मध्यस्थ पर डालने के उद्देश्य से उन्होंने मेसर्स बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड एवं उसके प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई।

ईडी की जांच से यह स्थापित हुआ है कि विदेशी बैंकों द्वारा कथित रूप से जारी की गई नकली बैंक गारंटियाँ तथा एसबीआई के नाम पर उनके जाली समर्थन प्रस्तुत करके सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की निविदा प्राप्त करने में रिलायंस समूह की मिलीभगत और दुर्भावनापूर्ण मंशा रही है। जांच के दौरान मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्त अधिकारी अशोक कुमार पाल तथा अन्य सहायक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

इस मामले में अभियोजन शिकायत दायर करने से ठीक पूर्व, ईडी ने ₹5.15 करोड़ मूल्य की अपराध की आय को भी कुर्क किया।